भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2085
दिनांक 14.03.2023 / 23 फाल्गुन,1944 (शक) को उत्तर के लिए

प्रतिनियुक्ति पर आई.पी.एस.

†2085. श्री बि. मणिक्कम टैगोरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राज्यों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) के अधिकारियों को नामित करने के लिए कहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने चेतावनी दी है कि चयनित अधिकारियों को एक महीने के भीतर कार्यभार ग्रहण करने में बिफल रहने पर पांच साल के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारें या तो चयनित अधिकारों के नाम वापस ले रही थी या उन्हें केंद्र सरकार के साथ काम करने के लिए कार्यमुक्त नहीं कर रही थी, जिसके परिणामस्वरुप केंद्र में अधिकारियों की नियुक्ति में काफी देरी हुई और चयन, प्रतिनियुक्ति और संवर्ग प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया को बुरी तरह से प्रभावित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त के अलावा अन्य क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क): जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत प्रावधान किया गया है, भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) संघ और राज्यों, दोनों के लिए एक अखिल भारतीय सेवा है। केंद्र सरकार के विभिन्न पुलिस और अन्य संगठनों/विभागों में एक निश्चित संख्या में पदों को विभिन्न राज्य संवर्गों को आवंटित आईपीएस अधिकारियों द्वारा भरा जाता है। आईपीएस (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) के अंतर्गत आईपीएस अधिकारियों की केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति किए जाने का प्रावधान किया गया है। तदनुसार, गृह मंत्रालय आईपीएस के लिए संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी होने के नाते, प्रत्येक वर्ष में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए सभी राज्य सरकारों/संवर्गों से उनके निर्धारित केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व (सीडीआर) कोटा के अनुसार अनुरोध करता है।

<u>लोक सभा अतारांकित प्र.सं.2085, दिनांक 14.03.2023</u>

(ख): आईपीएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति "आईपीएस कार्यकाल नीति" के अंतर्गत शासित होती है और उक्त नीति के पैरा 17 के अनुसार, कोई अधिकारी, जिसे केंद्र सरकार के तहत किसी पद पर नियुक्ति के लिए अनुमोदित किया जाता है, यदि अपनी नियुक्ति लेने में विफल रहता है, तो उसे 5 वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति और विदेश में नियुक्ति/परामर्श से वंचित कर दिया जाएगा।

(ग): जी, नहीं।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

*****